REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05





प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2009 (कार्तिक 23, 1931) No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2009 (KARTIKA 23, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 16 अक्तूबर 2009

भारतीय प्रतिभूतियाँ--प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स)

आंत्रग्रवि.डीओडी. 1762/2009-10--सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 की धारा 2(i) के साथ पठित उसी अधिनियम की धारा 11(2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि सरकारी प्रतिभूतियों का स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अधीन होगा :--

I. परिभाषा

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

- (क) स्ट्रिप्स(प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार) भिन्न, पृथक प्रतिभूतियाँ हैं जो सरकारी प्रतिभूति के नकदी प्रवाह से सुजित होती हैं तथा निम्नलिखित से बनती हैं :--
 - कूपन स्ट्रिप्स, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के कूपन प्रवाह की प्रतिनिधित्व करता है।
 - (ii) मूल स्ट्रिप, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के मूल नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है।

स्पष्टीकरण : प्रतिभूति की स्ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप बकाया कूपन भुगतान तथा एक मूल स्ट्रिप के मोचन भुगतान होंगे । तदनुसार प्रत्येक स्ट्रिप "शून्य कूपन बॉण्ड" बन जाएगी क्योंकि परिपक्वता पर उसका केवल एक नकदी प्रवाह होगा । प्रत्येक स्ट्रिप एक भिन्न सरकारी प्रतिभूति होगी और उसकी एक भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आइएसआइएन) होगी ।

- (ख) "स्ट्रिपिंग" का अर्थ है, नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को पृथक करने की प्रक्रिया अर्थात प्रत्येक बकाया अर्ध वार्षिक कूपन भुगतान तथा अंतिम मूलधन के भुगतान को पथक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना ।
- (ग) "पुनर्गठन" का अर्थ है, स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया, जहाँ स्ट्रिप्स, अर्थात कूपन स्ट्रिप्स और मूल स्ट्रिप्स दोनों, को फिर से मूल प्रतिभूति बनाने के लिए दुबारा इकठ्ठा किया जाता है।
- (घ) "प्राधिकृत संस्था" का अर्थ वह प्राथमिक व्यापारी अथवा अन्य कोई संस्था है जिसकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के धारक से प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन के लिप उनके धारकों से अनुरोध स्वीकार करके भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुतकर्ता के रूप में की गई है।
- 11. स्टिप्स के लिए शर्तें :
- सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय में पीडीओ-एनडीएस (तयशुदा लेन-देन प्रणाली) में की जाएगी ।
- सभी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बॉण्ड के अतिरिक्त, जिनकी कूपन भुगतान की तारीख 2 जनवरी तथा 2 जुलाई है, परिपक्वता का वर्ष चाहे कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र होंगी ।
- 3. उसी परिपक्वता तारीख वाली सभी कूपन स्ट्रिप्स की आइएसआइएन वही होगो, चाहे निहित प्रतिभूति कोई भी हो, जिससे ब्याज का भुगतान अलग किया जा रहा है तथा उसी नकदी प्रवाह की कूपन स्ट्रिप्स प्रतिमोच्च (आपस में अदला-बदली होने वाली) होंगी । कूपन रिट्रप्स की आइएसआइएन मूल स्ट्रिप्स के आइएसआइएन से भिन्न होगी, चाहे उनकी परिपक्वता तारीख वही हो, तथा वे प्रतिमोच्य नहीं होंगी ।
- 4. धारक के विकल्प पर स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सरकारी प्रतिभूति जारी करने की तारीख से उसकी परिपक्वता तक कभी भी किया जा सकता है।
- 5. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन केवल उन पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनुमत होगा जो लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के पास सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाते में रखी गई हो । प्रत्यक्ष प्रतिभूतियाँ स्टिपिंग/पुनर्गठन की पात्र नहीं होंगी।
- 6. सरकारी प्रतिभूतियों के धारक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अपना अनुरोध केवल "प्राधिकृत संस्थाओं" के समक्ष रखेंगे ।
- 7 रिजर्व बैंक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा ।
- स्ट्रपिंग/पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रु. अथवा उनके गुणजों में होनी चाहिए ।
- 9 ये शर्तें अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी ।

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 16th October 2009

Government Securities -

Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS)

IDMD.No.1762/2009-10

In exercise of the powers conferred vide explanation to section 11(2) of the Government Securities Act, 2006 read with section 2(i) of the Act, ibid, the Reserve Bank of India hereby notifies that stripping/reconstitution of Government securities shall be subject to the terms and conditions specified herein:

I. Definitions

- a) "STRIPS" (Separate Trading of Registerèd Interest and Principal of Securities) are distinct, separate securities that are created from the cash flows of a Government security and shall consist of -
 - (i) Coupon STRIPS, where the single cash flow of the STRIP represents a coupon flow of the original security
 - (ii) Principal STRIP, where the single cash flow of the STRIP represents the principal cash flow of the original security.

<u>Explanation</u>: Stripping of a security shall result in Coupon STRIPS for all outstanding coupon payments and one Principal STRIP for the redemption payment. Each STRIP accordingly becomes a zero coupon bond since it has only one cash flow at maturity. Each STRIP shall be a distinct Government security and shall have a separate and distinct International Securities Identification Number (ISIN).

- b) "Stripping" means the process of separating the cash flows associated with a regular Government security i.e., each outstanding semi-annual coupon payment and the final principal payment into separate securities.
- c) "Reconstitution" means the reverse process of stripping, where the individual STRIPS i.e., both coupon STRIPS and Principal STRIPS are reassembled to get back the original security.
- d) "Authorized entity" means a Primary Dealer or any other entity recognized by the RBI to accept requests from the holders of Government securities for stripping/reconstitution of the securities and submission to the RBI.

II. Terms and Conditions for STRIPS

1. The process of stripping/reconstitution of Government securities shall be carried out at RBI, Public Debt Office in the PDO-NDS (Negotiated Dealing System).

2. All dated Government securities other than floating rate bonds having coupon payment dates on 2nd January and 2nd July, irrespective of the year of maturity shall be eligible for stripping/reconstitution.

3. All Coupon STRIPS with the same maturity date shall have the same ISIN, regardless of the underlying security from which the interest payments were stripped, and coupon STRIPS of the same cash flow shall be fungible (interchangeable). The ISIN of Coupon STRIPS shall be different from the ISIN of Principal STRIPS, even if they have the same maturity date, and shall not be fungible.

4. Stripping/reconstitution may be done at the option of the holder at any time from the date of issuance of a Government security till its maturity.

5. Stripping/reconstitution shall be permitted only in the eligible Government securities held in the Subsidiary General Leger (SGL)/Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts maintained at the Public Debt Office, RBI, Mumbai. Physical securities shall not be eligible for stripping/reconstitution.

6. Holders of Government securities shall place their requests for stripping/reconstitution only with an "Authorized entity".

7. Reserve Bank will not charge any fees on stripping/reconstitution.

8. The amount of securities that could be tendered for stripping/reconstitution shall be a minimum of Rs.1 crore and multiples thereof.

9. These terms and conditions shall come into effect from the date of this Notification.

H. R. KHAN Executive Director